वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की "विद्या परिषद्" की दिनांक 11 अगस्त, 2023 को सम्पन्न हुई 16वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल में मा0 कुलपति महोदय, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1	प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	**अध्यक्ष**
2	प्रो0 के0के0एस0 मेर, प्रभारी निदेशक, बी0टी0के0आई0टी0, द्वाराहाट	**सदस्य**
3	प्रो0 बी0के0 सिंह, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सदस्य**
4	डॉ0 प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून	**सदस्य**
5	डॉ0 यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस0एच0आई0एम0टी0, नई टिहरी, उत्तराखण्ड।	**सदस्य**
6	प्रो0 वी0एन0 काला, प्रभारी निदेशक, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी, गढ़वाल	**सदस्य**
7	डॉ0 वी0के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	**आमंत्रित सदस्य**
8	डॉ0 विशाल रमोला, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	**आमंत्रित सदस्य**
9	डॉ0 यूसरा अहमद, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	**आमंत्रित सदस्य**
10	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	**पदेन सचिव**

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय द्वारा माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यो के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तद्उपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गयेः–

बिन्दु सं0–16.01

विद्या परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

बैठक में सर्वसम्मिति द्वारा विद्या परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–16.02

विद्या परिषद की दिनांक 27 मई, 2023 को संपन्न हुई 15वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चयः–

विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 27 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0–16.03–

विश्वविद्यालय के समस्त कैंपस संस्थानों में कार्यालय शैक्षणिक अवधि प्रातः 09:00 बजे से सायं 05.00 बजे तक निर्धारित किये जाने की सूचना मा0 सदस्यों के अवगतनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय के समस्त कैंपस संस्थानों में कार्यालय शैक्षणिक अवधि हेतु निर्धारित की गयी समय–सारणी का अवलोकन करते हुए मा0 परिषद् द्वारा कैंपस संस्थानों हेतु उक्त समय सारणी अनुमोदित की गयी।

- प्रत्येक कक्षा **(Period)** की अवधि 01 घंटे की होगी (जिसमें 55 मिनट कक्षा अवधि तथा 5 मिनट का ब्रेक समाहित है)।
- सभी कक्षाएं सायं 05.00 बजे तक संचालित होगी तथा शैक्षिणिक गतिविधियों के मध्य में 01 घंटे का भोजनावकाश अपराह्न 01.00 बजे से 02.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
- प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 08.00 से 09.00 **Zero Period** का प्राविधान संस्थान स्तर पर किया जा सकता है, जिसे शिक्षक आवश्यकतानुसार प्रयोग करेगें।
- संस्थान के निदेशक अपने स्तर से अवकाश की अवधि अथवा कार्यालय दिवस के इतर कार्य की आवश्यकतानुसार संस्थान खोल सकते है।
- संस्थान में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार अवकाश रहेगा।

बिन्दु सं0–16.04–

विश्वविद्यालय द्वारा विषम सेमेस्टर एवं सम सेमेस्टर परीक्षाओं की परीक्षाफल निर्गत किये जाने की सूचना मा0 सदस्यों के अवगतनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न तकनीकी पाठयक्रम एवं व्यावसायिक पाठयक्रम के विषम सेमेस्टर एवं सम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन /स्केनिंग/ऑन स्क्रीनिंग मूल्यांकन के उपरांत छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यो में किये जा रहे डिजीटलीकरण की मा0 परिषद् द्वारा प्रशंसा की गयी।

इस क्रम में मा0 कुलपति महोदय द्वारा विषम सेमेस्टर एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैंनिंग व आन स्क्रीनिंग मूल्यांकन उपरान्त शेष समस्त परीक्षाफल 01 सप्ताह तक घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं0–16.05–

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठयक्रमों की नवीन पाठ्यचर्या (Syllabus) तैयार किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय B.O.S. (Board of Studies) की बैठक सम्पन्न करायी गयी। B.O.S. द्वारा जारी कार्यवृत्त व तैयार की गयी पाठ्यचर्या (Syllabus) सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयार की गयी पाठ्यचर्या (Syllabus) हेतु मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी कम में 2022–23 से अब तक अनुमोदित पाठ्यचर्याओं (Syllabus) को संकलित कर मुद्रित करा कर संबंधितो को उपलब्ध कराने व संरक्षित किये जाने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी, जिसमें 1. निदेशक, शिवालिक इंजी0 कॉलेज, देहरादून 2. डॉ0 यूसरा अहमद, विभागाध्यक्ष एफ0ओ0पी0, 3. डॉ0 विशाल रमोला, विभागाध्यक्ष,एफ0ओ0टी0 को नामित किया गया है। उक्त गठित समिति समस्त पाठ्यचर्या (Syllabus) को एकत्रित कर एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संरक्षित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

1- **Dept. of Mechanical Engg-**
M.Tech (M.Tech in Hydro& Renewable Energy) (Full-Time& Part Time),
B.Tech (Robotics & Automation),
B.Tech (Mechanical & Automation Enginering)
2- **Dept. of Computer Science Engg.**
B.Tech (Computer Science & Engineering) (Data Science),
B.Tech (AI & ML),
B.Tech (Computer Science & Engineering) (Internel of things and cyber security including block chain Technology)
B.Tech (Computer Science & information Technology)
3- **Dept. of Electronics and Communication Engg. -**
B.Tech (Electronics & Communication Engineering - Industry Integrated),
4- **Dept. of Pharmacy-**
Pharma D (PB)
5- **Dept. of Management-**
(MBA All Specialisation)
6- **Dept. of Master of Computer Application -**
(III & IV Semester)

बिन्दु सं0–16.06–

विश्वविद्यालय द्वारा बी0टैक0 प्रथम वर्ष तथा बी0टैक0 बायोटैक्नोलॉजी प्रथम वर्ष की संशोधित (Revised) पाठ्यकचर्या (Syllabus) सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। मा0 परिषद् द्वारा बी0टैक0 प्रथम वर्ष तथा बी0टैक0 बायोटैक्नोलॉजी प्रथम वर्ष की संशोधित (Revised) पाठ्यकचर्या (Syllabus) हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसे भी बिन्दु संख्या–10–05 में की जा रही कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए।

बिन्दु सं0–16.07–

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून द्वारा B.Sc in Defence Studies पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान किये जाने हेतु चर्चा एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। मा0 परिषद् द्वारा नियामक संस्थाओं यथा–ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0 आदि के नियमों/मानकों के अन्तर्गत भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून के साथ स्नातक स्तरीय

पाठ्यक्रमों की संभावनाओं को तलाशते हुये संचालित किय जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–16.08–

शैक्षिक सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत छात्रों द्वारा अपने शैक्षिक दस्तावेज/अभिलेख जमा कराये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय– बैठक में चर्चा हुई। उक्त ऐजेंण्डा बिन्दु पर निम्न्वत निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. जिन स्नातक स्तरीय/डिप्लोमा छात्रों के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है तथा सम्बन्धित छात्रों द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर प्रोविजनल एडमिशन किसी संस्थान में प्राप्त किया गया है ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 तक का समय अपने शैक्षिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा।
2. अपरिहार्य परिस्थितियों में शैक्षिक प्रपत्र जमा किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 तक अपने शैक्षिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि के संबंध में निर्णय लेने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया परन्तु परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि उपरांत किसी भी दशा में शैक्षिक दस्तावेज जमा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।
3. उपरोक्त की सूचना से विश्वविद्यालय द्वारा सभी संस्थानों को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा उक्त की सूचना विश्वविद्यालय बेवसाईट पर प्रदर्शित व नोटिस बोर्ड में चस्पा की जायेगी।

बिन्दु सं0–16.09–

नवीन संस्थानों को नवीन कोर्स के पंजीकरण व सम्बद्ध संस्थानों को सीट वृद्धि किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय– बैठक में चर्चा उपरांत निम्नवत् निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा सीट वृद्धि किये जाने हेतु इच्छुक ऐसे संस्थान जिनके प्रस्ताव या तो राज्य सरकार में राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु या फिर सम्बन्धित नियामक संस्था में नियामक संस्था की मान्यता/स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, को विश्विद्यालय प्रवेश काउंसलिंग के अंतिम चरण से पूर्व राज्य सरकार की अनापत्ति, विश्वविद्यालय की सहमति तथा नियामक संस्थान की स्वीकृति प्राप्त करते हुए सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम/सीट वृद्धि का पंजीकरण विश्वविद्यालय ऑनलाईन पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य होगा।
2. विश्वविद्यालय प्रवेश काउंसलिंग के अंतिम चरण प्रारम्भ होने उपरांत किसी भी दशा में नवीन पाठ्यक्रम संचालन व सीट वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा। ऐसे प्रस्तावों को आगामी शैक्षिक सत्र में नियामक संस्था की स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत व अन्य आवश्यक प्रकिया पूर्ण किये जाने उपरांत प्रवेश/अस्थाई सम्बद्धता हेतु स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
3. उक्त की सूचना से सभी संस्थानों को सूचित किया जायेगा तथा सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

बिन्दु सं0–16.10–

बी0टैक0 द्वितीय वर्ष में लैट्ररल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशित छात्रों हेतु माइनर प्रोजेक्ट पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। बी0टैक0 द्वितीय वर्ष में लैट्ररल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश लेने वाले तकनीकी एवं फार्मेसी के छात्रों द्वारा अपने तृतीय सेमेस्टर के दौरान कोर्स स्ट्रेक्चर (Course Structure) के Intership/Mini project हेतु माईनर प्रोजेक्ट पूर्ण किये जाने तथा जिसका मूल्यांकन कोर्स स्ट्रेक्चर में दिए गये Intership/Mini project के सापेक्ष किये जाने पर मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इसे Scheme of Examination में भी सम्मिलित किया जाय।

अन्य बिन्दु– 16.11 मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

बिन्दु संख्या–16.11(1) लॉ पाठ्यकमों के Promotion & Re admission Criteria विद्या परिषद् में रखे जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। मा0 परिषद् द्वारा विधि पाठ्यकमों (BALLB, BBALLB, LLB) में 2022–23 से पूर्व प्रवेशित छात्रों तथा वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों हेतु विधि पाठ्यकमों के ऑर्डिनेन्स को प्रभावी करने हेतु इनमें इंगित केडिट के स्थान पर Equivalent विषयों की संख्या मानते हुए Promotion & Re admission Criteria दिये जाने पर 2022–23 के निम्न प्राविधनों को लागू करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1- A student shall be eligible for promotion to the next academic year of study if the students is passed at least 04 theory subject (equivalent to 16 credits/year as per 2022-23 Ordinance as each subject is of 4 credits) for LLB/BBALLB/BALLB in the combined results of both semester examination of a particular academic year of study.

2- A candidate may be allowed for re-admission provided he/she satisfies one of the following conditions:

i A candidate is declared fail.

ii A candidate did not appear in a semester examination or he /se was not granted permission to appear in the examination.

iii A candidate has been detained b the institute and subsequently has been permitted to take re-admission.

iv A candidate promoted with carry over subjects and he/she opted for re-admission.

अंत में सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति